न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 02 / 2025 / बालोतरा

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. कोजाराम पुत्र श्री मोतीलाल 2. किशोरकुमार पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी बागवानो का बास, पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1. इच्छालाल पुत्र श्री सोनाराम 2. उदयकिशन पुत्र श्री सोनाराम 3. गोविन्द पुत्र श्री सोनाराम 4. जेठीदेवी पत्नी श्री सोनाराम 5. नखतु पुत्री श्री सोनाराम 6. पूजा पुत्री श्री सोनाराम 7. मगराज पुत्र श्री सोनाराम सभी जाति माली निवासी बागवानो का बास, पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 36 / 2024 बउनवान कोजाराम बनाम इच्छालाल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल पूनड़ रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 03 व 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—15.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पोकरण के भूमि खसरा संख्या 1120 रकबा 0.5422 हैक्टेयर यानी 03.07 बीघा वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आई हुई है। वक्त सैटलमेंट भूमि का नक्शा 03.07 बीघा का बनाया परन्तु भूलवश खतौनी में केवल 07 बिस्वा रकबा की प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के दादा हस्तीमल के नाम दर्ज कर दी तथा वादीगण के पिता मोतीलाल के नाम 3 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज नहीं हुई। उक्त खसरा संख्या 1120 के अन्दर पुराना कुंवा खसरा संख्या 1121 आया हुआ है जिसके वादीगण के दादा राणाराम दर्ज खातेदार काश्तकार है। उक्त कुंवे से खसरा संख्या 1120 वक्त जागीर से वादीगण के दादा—परदादा सिंचाई करके काश्त करते आ रहे हैं तथा विवादित खसरा संख्या 1120 के पाड़ौस में वादीगण का अन्य खेत खसरा संख्या 1118 आया हुआ है इस प्रकार वादीगण की 03 बीघा भूमि सेटलमेंट वालों ने गलती से खसरा संख्या 1120 में डाल कर खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है। अपीलाधीन आराजी पर पीढ़ियों से वादीगण काबिज है जिसकी बिगुड़ी वादीगण के द्वारा जमा करवाई गई। इस

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांटस के वाद को बिना साक्ष्य सबूत लिये खारिज करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। नियमित वाद को जो दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है उस पर दावा जबाब दावे के आधार पर विवाद्यक कायम किया जाना एवं दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के उक्त अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन आराजी पर कब्जा वादी/अपीलांटस का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांटस के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया। मौके पर अनावश्यक विवाद पैदा नहीं हो इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश यथावत पुष्ट किया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 03 व 07 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस की अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमांड किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण/वादीगण ने हस्तगत वाद को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए पेश किया गया जबकि इस बिंदु का निस्तारण

(नव...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2024 बउनवान कोजाराम बनाम इच्छालाल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद में तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारों के मध्य विवाद नहीं बढे इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे मौजा पोकरण तहसील पोकरण के खसरा संख्या 1120 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

15/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर